

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
बलाम भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-24/2011/20-3

भोपाल, दिनांक 28/6/11

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :— अशासकीय शिक्षण संस्था छीवीएम.पब्लिक स्कूल, माडल स्कूल रोड, अनूपपुर, म0प्र० को सी.वी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता है तु अनापत्ती प्रमाण—पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विषय कित्त संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.वी.एस.ई. से सम्बद्धता है तु यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :—

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोट शिक्षण संचालनालय द्वारा समय—समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, अनूपपुर (म0प्र०) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार फ्रिघाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संरक्षा के संबंध में समय—समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

63/11-26/6/11  
( के.आर.उपाध्याय )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
०२७८/१।।

१०२८

४३५० एक क्रमांक एफ 73-24 / 2011 / 20-3

भाषान दिनांक २८/६/११

निर्णयीलिपि —

✓ सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था ढी.झी.एम परिषिक स्कूल, माडल स्कूल रोड, अनूपपुर, म०५४० को सीधी एसडे से सम्बद्धता, मालवा हेटु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है —

- (1) संस्था सीधी एसडे के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं इसका परीक्षण केन्द्रीय नायनिक शिक्षा महल द्वारा किया जाएगा।
  - (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन का प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पायी जान पर या उसको पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्रादा शिकायत जाच में तहीं पायी जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 2— आयुवत्त, लोक शिक्षण, नोपाल, म.प्र  
 3— जिला शिक्षा अधिकारी, जिला अनूपपुर, म०५४०  
 4— ऑफिस दुक

३२८/६/११

अधर सचिव

०२ मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग  
 २८/६/११